कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन कन्ज़्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, ई-147, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**007 / 15, 10.03.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जी0 एल0 जोशी, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन कन्ज़्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, ई-147, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.03.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत Mother Horlicks पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री जी0 एल0 जोशी, विद्वान अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि Mother Horlicks superior nutritional food supplement है जिसमें 27 vital nutrients पड़े होते हैं। उक्त प्रोडक्ट के theoretical composition का तात्पर्य Mother Horlicks के milk content से है, जो कि लगभग 56% होता है। इसमें मुख्यतया skimmed milk powder, milk Solid not fat तथा milk fat है। तकनीकी रूप से प्रोडक्ट में milk content आकलित करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। कई nutritional parameters के आधार पर यथा-protein, fat, sugar and micro nutrients के आधार पर यह तय किया जा सकता है। कहा गया कि Mother Horlicks में Milk content 57.8% होता है। उक्त के आधार पर Mother Horlicks को milk food के रूप में वर्गीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-81 से आच्छादित मानने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त प्रोडक्ट Milk Food है या Milk Product तथा Horlicks उक्त प्रविष्टि से आच्छादित है अथवा नहीं इस प्रश्न का विनिश्चय किया जाये।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-272, दिनांक 30.05.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा विक्रीत माल, जिसे उनके द्वारा मदर हार्लिक्स बताया जा रहा है, उस पर उनके द्वारा अभी तक नियमानुसार फूड सप्लीमेन्ट मानते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत कर दिया जा रहा था और यह किसी भी रूप में मिल्क फूड अथवा मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं आता है। व्यापारी द्वारा भले ही इसका नाम मदर हार्लिक्स लिख दिया गया है, लेकिन यह कोई मिल्क फूड अथवा मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। इसका प्रयोग फूड सप्लीमेन्ट की भॉति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किया जाता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में चूँकि मदर हार्लिक्स उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV से आच्छादित नहीं है, अत: नियमानुसार फूड सप्लीमेन्ट की भॉति ही करदेयता बनती है।

<u>सर्वश्री ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन कन्ज़्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड / प्रा0 पत्र सं0-007 / 15 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

व्यापारी द्वारा Government of India and Central Registering Authority के समक्ष इसे किस रूप में पंजीकृत कराया गया है, इसका कोई मतलब उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 से नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में कहीं भी हार्लिक्स अथवा मदर हार्लिक्स मिल्क फूड अथवा मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं माना गया है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में चूँकि हार्लिक्स उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV से आच्छादित नहीं है । अत: नियमानुसार फूड सप्लीमेन्ट की भाँति ही करदेयता बनती है, क्योंकि यह फूड सप्लीमेन्ट ही है । माननीय न्यायालयों द्वारा कई न्यायिक निर्णयों में यह मत स्थापित कर दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के सम्बन्ध में करदेयता पर विवाद है, तो कॉमन पार्लेन्स में ही उस वस्तु के प्रयोग को देखते हुए स्थिति स्पष्ट की जा सकती है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत कम्पनी द्वारा Mother Horlicks को food supplement मानते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत कर दिया जा रहा है इसका प्रयोग फूड सप्लीमेन्ट की भाँति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किया जाता है । माननीय न्यायालयों द्वारा कई न्यायिक निर्णयों में यह मत स्थापित कर दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के सम्बन्ध में करदेयता का विवाद है तो कॉमन पार्लेन्स में ही उस वस्तु के प्रयोग को देखते हुए स्थिति स्पष्ट की जा सकती है । प्रश्नगत कम्पनी द्वारा Mother Horlicks को food supplement मानते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत कर दिया जा रहा है । अत: प्रश्नगत प्रकरण में proceeding pending होने के कारण धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं । धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है । अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निम्नलिखित प्राविधान हैं :-

(1) If any question arises, otherwise than in a **proceedings pending** before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or

Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, के दृष्टिगत चूँकि प्रार्थी पंजीकृत हैं, तथा संगत वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया गया है । अत: उपरोक्त विधिक प्राविधान एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत बिन्दु पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि से बाहर होने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा विवादित वस्तु को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत करदेयता मानते हुए करदायित्व स्वीकार किया जा रहा है । अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निहित प्राविधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

ह0 / 04.12.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।